समक्ष : न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /2012/निगरानी — 654-I/12

1—हंसराज पुत्र बजरंगलाल जाति मीणा
निवासी ग्राम जानपुरा तहसील व जिला
श्योपुर म.प्र.

श्री वीरसिंह जादौन, अभि. द्वारा आज दि. 21-3-12 को प्रस्तुत
21-3-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

2—राजू पुत्र बजरंगलाल जाति मीणा
निवासी ग्राम जानपुरा तह. व जिला
श्योपुर म.प्र.

..........निगरानीकर्तागण

बनाम

मध्यप्रदेश शासन जर्ये कलेक्टर श्योपुर

...........गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 24.01.12 न्यायालय कलेक्टर जिला श्योपुर के प्र.क्रं. 06/2010–11/स्वमेव निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा. सं. एवं आर.बी.सी. की कण्डिका 4(3) के नियम 30(1)

मान्यवर महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:—

निगरानी के संक्षिप्त में सार :—

यह कि ग्राम मयापुरा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 51/9मिन 2 रकबा 10 बीघा भूदान भूमि थी। भूदान बोर्ड द्वारा उक्त भूमि का पट्टा हरि पुत्र दीना बंजारा निवासी ग्राम शाहपुरा के नाम पर भूदान कृषक के रूप में दर्ज थी उक्त भूमि पर हरि पुत्र दीना बंजारा द्वारा आज दिनांक तक खेती नहीं की है तथा उसके द्वारा भूदान पट्टे की शर्तो का उल्लंघन किया था।

2. यह कि उक्त भूमि उबड खाबड एवं बंजर व पथरीली भूमि थी इसकारण से हरि बंजारे द्वारा खेती करने में असमर्थता व्यक्ति करते हुये अपने पट्टे की भूमि का त्याग पत्र श्रीमान तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया। श्रीमान तहसीलदार महोदय द्वारा उक्त प्रकरण संज्ञान में लेते हुये

क्रमंश:.........2

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 654-एक/2012 जिला- श्योपुर

हंसराज आदि विरूद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-08-19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला- श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 06/2010-11/स्व.निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24.01.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त, चम्बल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2- पक्षकार दिनांक 15-10-19 को आयुक्त, चम्बल के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0 के0 जैन) सदस्य	